तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म से जारी
17/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० गरै इंतजार रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई एवं तत्वी अप्रार्थी जर्ये नोटिस/सम्मन से की जाकर दिनांक 21/1/26 को पेश हो। उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई 21/01/2026	
21/01/2026	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० व परोधार सरकार उपस्थित। इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी वकील एवं परोधार सरकार द्वारा मूल वाद पत्र पर बहस की गयी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी वाद पत्र अंतर्गत धारा 128 LRA आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर सामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तस्मीन दाखिल दफ्तर हो। 21/1/26 उप खण्ड अधिकारी नीमराणा (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH: 01420-228487

प्रकरण संख्या :–83/2025
प्रकरण दायर दिनांक:– 08.07.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक:–21.01.2026

उनवान

1. अर्जुन पुत्र भरत्या जाति गुर्जर निवासी नांगवास तहसील बाँदीकुई जिला
:–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बाँदीकुई जिला दौसा।
:–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पत्थरगढी किये जाने बाबत्

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पत्थरगढी किये जाने बाबत जर्ये वकील श्री नवीन कुमार गुर्जर के इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 165 पुराना 110 के आराजी खसरा सं. 877/616 रकबा 0.13 हैक्टे, खसरा सं. 886/611 रकबा 0.18 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 0. 3100 हैक्टे. वाके ग्राम नांगवास पटवार हल्का कीरतपुरा तहसील बाँदीकुई जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा सं. 877/616 की पत्थरगढी नहीं होने के कारण काश्त के समय सीमाओं को लेकर विवाद होने की संभावना बनी रहती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में स्थायी सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण कृषि भूमि की स्थायी सुरक्षा दीवार भी नहीं कर पा रहे है। जिसके कारण आवारा जानवर प्रार्थी की फसल को नष्ट कर देते है, जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस कारण प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 877/616, 886/611 की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन एवं इंसाफन न्यायोचित है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि की सीमाज्ञान करवाने के लिए अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार दिनांक 17.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कृषि भूमि का सीमाज्ञान किया जा चुका है। जिसकी प्रति संलग्न है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 877/616 एवं 886/611 की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन इन्साफन जरूरी है। अतएव प्रार्थना पत्र पत्थरगढी मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 877/616, 886/611 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3100 हैक्टे. वाके ग्राम नांगवास पटवार हल्का कीरतपुरा तहसील बांदीकुई की पत्थरगढी सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2025 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे तथा अप्रार्थी को इस आशय की तहरीर जारी किये जाने बाबत निवेदन किया।

24 E —

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई उपस्थित। प्रकरण में बहस प्रार्थीगण वकील एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम नांगवास खाता सं. नया 165 पुराना 110 कुल किता 02 कुल रकबा 0.31 हैक्टे., मौका पर्चा ग्राम नांगवास दिनांकः 17.06.2025 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम नांगवास खाता सं. नया 165 पुराना 110 में प्रार्थी अर्जुन पुत्र भरत्या रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा ग्राम नांगवास दिनांक 17.06.2025 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 877/616 रकबा 0.13 हैक्टेयर का सीमाज्ञान हो चुका है। भूमि खसरा नंबर 886/611 का सीमाज्ञान नहीं हुआ है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आरएक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, मौका–पर्चा सीमाज्ञान ग्राम नांगवास दिनांकः 17.06.2025 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की भूमि खाता संख्या नया 165 पुराना 110 के आराजी खसरा नंबर 877/616 रकबा 0.13 हैक्टेयर ग्रम नांगवास तहसील बांदीकुई जिला दौसा की मुताबिक मौका पर्चा ग्राम नांगवास दिनांकः 17.06.2025 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

2/11/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner